

न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति
एन. के. अग्रवाल के समक्ष, जे. जे.
मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, -याचिकाकर्ता
बनाम

बहिष्करण और कर अधिकारी, अम्बाला CANTT.AND अन्य, -उत्तरदाता
1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 4394
5मई, 1999

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973- धारा 2 (1) (iv)- बिक्री- जिसका अर्थ है- एल. पी. जी. सिलेंडरों की बिक्री जो उपभोक्ताओं को साज-सज्जा पर प्रदान किए जाते हैं।
प्रतिभूति- ऐसी प्रतिभूति जो वापसी योग्य हो- चाहे उपभोक्ता को सिलेंडर की बिक्री हो।

निर्णय दिया गया कि, 'विक्रय' सामान में संपत्ति का हस्तांतरण आमतौर पर कहा जाता है। कानून के एक कल्पनात्मक कारण, हायर पर्चेस पर सामान की वितरण भी 'विक्रय' की परिभाषा में शामिल किया गया है। फिर भी, अब कुछ सामान का उपयोग करने के अधिकार का संवित्य का वितरण, मूल्ययोग्य विचार के लिए, कल्पनात्मक रूप से 'विक्रय' के रूप में व्यवहारिक रूप से किया गया है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह माना गया कि सिलेंडर केवल गैस ले जाने का एक तरीका है। यह स्वीकार की गई स्थिति है कि याचिकाकर्ता केवल वापसी योग्य प्रतिभूति एकत्र कर रहा है जिसे उपभोक्ता द्वारा सिलेंडर वापस करने पर पूरी तरह से वापस करना होगा। प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली राशि को लागत मूल्य से अधिक भी नहीं माना जाता है। कोई लाभ नहीं है। ऐसा कोई धन संग्रह नहीं है जिस पर कुछ ब्याज भी अर्जित हुआ हो। इस तरह के लेनदेन को 'बिक्री' नहीं कहा जा सकता है। यह कानून का इरादा नहीं है और न ही प्रावधान पर ऐसी व्याख्या करना उचित और उचित होगा।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रेणु सहगल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर चावला

प्रमोद गोयल, डी. ए. जी., हरियाणा उत्तरदाता के लिए।

निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे. (मौखिक)

(1) क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं को सिलेंडर बेचता है जब उसके डीलर प्रतिभूति के माध्यम से वापसी योग्य जमा स्वीकार करते हैं? यह प्राथमिक प्रश्न है जो इस रिट याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होता है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(2) याचिकाकर्ता अपने स्वयं के वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदान कर रहा है। यह आपूर्ति विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सिलेंडरों में की जाती है। कनेक्शन की मंजूरी के समय, विक्रेता उपभोक्ता से वापसी योग्य प्रतिभूति एकत्र करता है। सिलेंडर का स्वामित्व उपभोक्ता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है।

(3) 25 मार्च, 1998 को निर्धारण प्राधिकरण ने एक करोड़ रुपये का शुल्क लगाया। 14,06,173 निर्धारण वर्ष 1994-95 के संबंध में याचिकाकर्ता पर इस धारणा पर कि उसने उपभोक्ताओं को सिलेंडर बेचे हैं जब इसने कुल रु. 159,77,515 की प्रतिभूति जमा राशि स्वीकार की। इस आदेश की एक प्रति आदेश से पीड़ित रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. 1 के रूप में प्रस्तुत की गई है, याचिकाकर्ता ने एक अपील भरी है। अपील के साथ, याचिकाकर्ता ने एक प्रार्थना के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया कि कर जमा करने पर जोर दिए बिना अपील की सुनवाई की जाए। याचिकाकर्ता के आवेदन को संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त (अपील), अंबाला ने 15 मई, 1998

के अपने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। यह आदेश अनुलग्नक पी. 2 के रूप में दर्ज है। याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। 8 फरवरी, 1999 के आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

(4) याचिकाकर्ता का आरोप है कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर की कोई बिक्री नहीं हो रही है। व्यापारी द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूति जमा एक मूल्यवान राशि नहीं है और माल में कोई भी संपत्ति उपभोक्ता को हस्तांतरित नहीं की जाती है। यह केवल उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति का एक तरीका है। इन परिसरों में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि रु। 14,06,173 जैसा कि आकलन प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है, रद्द कर दिया जाए। यह भी प्रार्थना करता है कि अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाए।

(5) प्रतिवादीगण की ओर से एक विस्तृत लिखित बयान दायर किया गया है जैसे कि हरियाणा राज्य, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी के साथ-साथ बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा। इस लिखित बयान में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति एक 'बिक्री' है न कि जमानत। याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक बिक्री के उद्देश्य से केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (3) के तहत सी फॉर्म के खिलाफ आर. सी. के बल पर सिलेंडर खरीदे हैं। प्रतिवादीगण का कहना है कि लेनदेन हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (1) (4) के अर्थ के भीतर 'बिक्री' के बराबर है।

(6) यह मामला कल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से, यह आग्रह किया गया था कि यदि अपीलीय प्राधिकरण कर जमा करने पर जोर दिए बिना अपील पर विचार करता है, तो याचिकाकर्ता मूल गुण पर निर्णय के लिए दबाव नहीं डालेगा। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री गोयल को निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। श्री गोयल का कहना है कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए और मूल गुण के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। नतीजतन, हमने मामले के मूल गुण पर अधिवक्ता को सुना है। दोनों पक्षों ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया है और यहां तक कि निर्णयों का भी हवाला दिया है। जब हम आदेश दे रहे थे, श्री गोयल ने कहा कि राज्य कर जमा किए बिना अपील पर विचार करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति ठीक है। इसलिए, न्यायालय को केवल सीमित प्रश्न पर विचार करना चाहिए और मूल गुण पर निर्णय नहीं देना चाहिए।

(7) चूंकि हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को मूल गुण के आधार पर सुना है, इसलिए हम अब खुद को उस सीमित प्रश्न तक सीमित रखना उचित नहीं समझते हैं जो कल अधिवक्ता द्वारा पूछा गया था। इस प्रकार, हम विवाद को मूल गुण के आधार पर तय करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

(8) धारा 2 (1) 'बिक्री' को परिभाषित करती है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता के अनुसार, जब भी नकद या आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए "किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है" तो धारा 2 (1) में परिभाषित 'बिक्री' के तत्व पूर्ण होते हैं। इस प्रकार, लेन-देन बिक्री कर के उद्ग्रहण के लिए उपयुक्त हो जाता है। विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या निगम सिलेंडरों का उपयोग करने के अधिकार को एक मूल्यवान विचार के लिए हस्तांतरित करता है जब वह उपभोक्ता से सुरक्षा स्वीकार करता है?

(9) प्रावधान के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि 'बिक्री' का अर्थ आम तौर पर माल में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। कानून की एक कल्पना के अनुसार, भाड़ पर खरीदारी पर खरीद पर माल की डिलीवरी को भी 'बिक्री' की परिभाषा में शामिल किया गया है। फिर भी बाद में, मूल्यवान विचार के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण को भी काल्पनिक रूप से 'बिक्री' के रूप में माना गया है। इसे स्पष्ट करने के लिए: जब कोई व्यक्ति पुस्तकालय से वीडियो कैसेट लेता है और रुपये की मामूली राशि का भुगतान करता है। वह एक मूल्यवान विचार के लिए माल का उपयोग कर रहा है और वीडियो लाइब्रेरी को इसके लिए बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जैसा कि अग्रवाल ब्रदर्स बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश द्वारा माना गया था। हरियाणा राज्य, 1996 की सिविल अपील संख्या 78, बिल्डरों द्वारा विचार के लिए शटर का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (1) के अर्थ में 'बिक्री' था। हालांकि, जब कोई व्यक्ति किताबें उधार लेने के लिए पुस्तकालय जाता है, तो उसे किताबों का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। आम तौर पर, सदस्य को प्रतिभूति के रूप में कुछ राशि पुस्तकालय को देनी होती है। इसके बावजूद, पुस्तकों का उधार 'बिक्री' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा जैसा कि धारा 2 (1) (iv) के प्रावधानों के तहत विचार किया गया है।

(10) वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि सिलेंडर केवल गैस ले जाने का एक साधन है। उपभोक्ता जब सिलेंडर लेता है तो प्रतिभूति का भुगतान करता है। प्रतिभूति की राशि लागत मूल्य से कम होती है। हमें सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने रु। 510 प्रति सिलेंडर। हालांकि, सुरक्षा रुपये थी। 450। उपभोक्ता अगले दिन वापस आ सकता है और पूरी राशि की वापसी की मांग कर सकता है। विक्रेता को इससे कोई राशि काटने का कोई अधिकार नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादीगण के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि विक्रेता को लगभग रु। प्रत्येक मामले में 50। कानून का इरादा ऐसा नहीं है और न ही प्रावधान पर ऐसी व्याख्या करना उचित और उचित होगा।

(11) श्री गोयल ने औद्योगिक ऑक्सीजन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1) में निर्णय का उल्लेख किया है। यह एक ऐसा मामला था जहां औद्योगिक गैसों का निर्माता सिलेंडरों के उपयोग के लिए किराया शुल्क वसूल कर रहा था। माननीय न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "याचिकाकर्ता द्वारा एकत्र किए गए शुल्क उसके ग्राहकों द्वारा सिलेंडरों के उपयोग के लिए थे जिन्हें सिलेंडरों का पूरा अधिकार दिया गया था। ग्राहकों द्वारा खरीदे गए गैस के पात्रों के रूप में सिलेंडरों का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया था। इसलिए, धारा 5-ई की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और किराया शुल्क वैध रूप से कर के अधीन थे।" वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी किराया शुल्क के माध्यम से एक पैसा भी नहीं लिया गया है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो दूर से भी यह संकेत दे सके कि कोई किराया शुल्क एकत्र किया जा रहा था। वास्तव में, ऐसा कोई सुझाव भी नहीं है कि उपभोक्ता सिलेंडर भाड़ पर खरीदारी पर ले रहा था। यहां तक कि मूल्यांकन प्राधिकरण ने भी ऐसा नहीं पाया है। यह स्वीकार की गई स्थिति है कि याचिकाकर्ता केवल वापसी योग्य प्रतिभूति एकत्र कर रहा है जिसे उपभोक्ता द्वारा साइंडर को वापस करने पर पूरी तरह से वापस करना होगा। प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली राशि को लागत मूल्य से अधिक भी नहीं माना जाता है। कोई लाभ नहीं है। ऐसा कोई धन संग्रह नहीं है जिस पर कुछ ब्याज भी अर्जित हुआ हो। इस प्रकार, प्रतिवादीगण औद्योगिक ऑक्सीजन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में निर्णय से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

(12) तब यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने सी फॉर्म के बल पर सिलेंडर खरीदे हैं, यह माना जाना चाहिए कि वह कंटेनरों को बेच रहा था और इन्हें केवल पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग नहीं कर रहा था।

(13) विवाद को गलत समझा गया है। केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अवलोकन से पता चलता है कि जब भी माल कंटेनर या अन्य सामग्री होती है जिसका उपयोग पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट किसी भी माल या माल के वर्गों की पैकिंग के लिए या पंजीकरण प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट किसी भी कंटेनर या अन्य सामग्री की पैकिंग "लेनदेन कर की रियायती दर के अधीन होगा। वर्तमान मामले में ठीक यही किया गया है। सिलेंडरों का उपयोग गैस की आपूर्ति के लिए पात्रों के रूप में किया जाता है।

(14) उपरोक्त और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण की ओर से पहले ही एक लिखित बयान दायर किया जा चुका है कि लेनदेन "बिक्री" के बराबर है, हम सोचते हैं कि याचिकाकर्ता को अपील के उपचार के लिए खारिज करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके अलावा, मूल गुण के आधार पर, हम पाते हैं कि प्रतिवादीगण की ओर से किया गया दावा मान्य नहीं है। इस प्रकार, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं और मूल्यांकन के आदेश को दरकिनार करते हैं, जिसकी एक प्रति है

(1) 86 एसटीसी 539

रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी. एल. के रूप में प्रस्तुत किया गया। नतीजतन, अनुलग्नक पी. 2 और पी. 3 के आदेश निरर्थक हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वरुण बंसल,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरूग्राम, हरियाणा